एफ.नं. सीबी/657/2026-आईटीओ (पद्धति) (सीपीसी टीडीएस)-2 दिल्ली

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति) नई दिल्ली

अधिसूचना संख्या 01/सीपीसी (टीडीएस))/2026

नई दिल्ली, 28 मार्च 2026

विषय: अदाता द्वारा प्रपत्र संख्या 121 के संबंध में विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) के सृजन और आवंटन और उसके भाग ख की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक – के संबंध में

आयकर अधिनियम, 2025 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 393(6) कुछ मामलों में कर की कटौती न किए जाने के लिए प्रदान की गई है, जिनमें आयकर नियम, 2026 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 211 के अनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा अदाता को प्रपत्र संख्या 121 के भाग क में घोषणा प्रस्तुत की जाती है। अधिनियम की धारा 393(6) में संदर्भित किसी भी प्रकार की आय या राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जिसे इसके बाद "अदाता" कहा गया है) प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से समुचित सत्यापन के पश्चात घोषणा या तो कागज़ी प्रारूप में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। घोषणाकर्ता अधिनियम की धारा 397 के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र संख्या 121 के भाग क में घोषणा में अनिवार्य रूप से अपना पैन उद्धृत करेगा।

नियमों के नियम 211 के उप-नियम (3) के अंतर्गत अदाता द्वारा कागज़ी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त प्रत्येक घोषणा को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। अदाता, प्रपत्र संख्या 121 के भाग क में प्राप्त घोषणाओं (चाहे डिजिटल रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक) के विवरण सहित प्रपत्र संख्या 121 का भाग ख को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(7)

के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के भीतर आयकर ई-दाखिलीकरण पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर निर्धारित फ़ाइल प्रारूप में प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, नियम 211 का वाक्यांश 4 यह प्रदान करता है कि अदाता, नियम 211 के उप-नियम (3) में संदर्भित विशिष्ट पहचान संख्या सहित नियम 219 में संदर्भित कर कटौती का विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणाओं का विवरण होगा, भले ही कथित तिमाही में कोई कर कटौती न की गई हो।

आयकर नियम, 2026 के नियम 332 के उप-नियम (2) के साथ पठित नियम 211 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतदद्वारा प्रपत्र संख्या 121 के संबंध में विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) के सृजन और आवंटन और अदाता द्वारा उसके भाग ख की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करते हैं।

2. विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का सृजन और आवंटन:

2.1 अदाता, कर वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक घोषणा (प्रपत्र संख्या 121 का भाग क) को एक 26-अक्षरीय UIN आवंटित करेगा। UIN में निम्नलिखित तीन क्षेत्र शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) अनुक्रम संख्या – अक्षर "D" से प्रारंभ होने वाले दस अक्षरांकीय वर्ण जिनके बाद नौ अंक होंगे (उदाहरण के लिए : D000000001)

(ख) कर वर्ष – जिस कर वर्ष के लिए घोषणा प्रस्तुत की गई है उसे दर्शाने वाले छः अंक (उदाहरण के लिए , कर वर्ष 2026-27 के लिए यह 202627 होगा)

(ग) अदाता का कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) – दस अक्षरांकीय वर्ण (उदाहरण के लिए , टैन: MUMN12345A के लिए यह MUMN12345A होगा)।

उदाहरण: कर वर्ष 2026-27 के लिए अदाता (टैन: MUMN12345A) द्वारा प्राप्त प्रथम घोषणा (प्रपत्र संख्या 121 का भाग क) को आवंटित किया जाने वाला UIN होगा –

D000000001202627MUMN12345A

2.2 जहाँ प्रपत्र संख्या 121 में घोषणा कागज़ी प्रारूप में प्राप्त होती है, वहाँ अदाता ऐसी घोषणा को डिजिटीकृत करेगा और उक्त पैरा 2.1 के अनुसार एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) आवंटित करेगा। ऐसी घोषणाओं पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत घोषणाओं के लिए प्रयुक्त चालू अनुक्रम संख्या श्रृंखला के क्रम में अनुक्रम संख्याएँ अंकित होंगी।

2.3 वाक्यांश 2.1(क) में संदर्भित चालू अनुक्रम संख्या श्रृंखला, प्रत्येक कर वर्ष के प्रारंभ में अदाता के प्रत्येक टैन के लिए "1" पर पुनः निर्धारित की जाएगी।

3. अदाता द्वारा आयकर प्राधिकारी को प्रपत्र संख्या 121 के भाग ख की प्रस्तुति

अदाता, प्रपत्र संख्या 121 के भाग क में प्राप्त घोषणाओं (चाहे डिजिटीकृत हो या इलेक्ट्रॉनिक) के विवरण सहित प्रपत्र संख्या 121 का भाग ख, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(7) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के भीतर आयकर ई-दाखिलीकरण पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर निर्धारित फ़ाइल प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

4. यह अधिसूचना 01 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।

(कमल दीप)

अपर आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)-1

सीपीसी-टीडीएस

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष एवं सदस्य, सीबीडीटी, नई दिल्ली के निजी प्रमुख सचिव,
2. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक /प्रधान आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर निदेशक /आयकर आयुक्त (टीडीएस) से अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के मध्य परिचालित करने के अनुरोध सहित

3. संयुक्त सचिव (टीपीएल) -I व II/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. आयकर निदेशक (आईटी)/आयकर निदेशक (लेखा परीक्षा)/आयकर निदेशक (सतर्कता)//अपर महानिदेशक(पद्धति) 1,2,3,4,5/अपर महानिदेशक(टीडीएस)/आयकर आयुक्त(सीपीसी-आईटीआर), बेंगलुरु, आयकर आयुक्त(ई-दाखिलीकरण), आयकर आयुक्त(आईटीबीए), आयकर आयुक्त(सीपीसी-टीडीएस) गाज़ियाबाद
5. अपर महानिदेशक(पीआर, पीपी व ओएल) से अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान हेतु अनुरोध सहित
6. सीबीडीटी के टीपीएल एवं आईटीए प्रभाग।
7. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेब प्रबंधक, 'incometaxindia.gov.in', वेबसाइट पर होस्टिंग हेतु।
9. डेटाबेस प्रकोष्ठ, www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने एवं आयकर महानिदेशालय (पद्धति) कॉर्नर में अपलोड करने हेतु
10. आईटीबीए व ई-दाखिलीकरण प्रकाशक, आईटीबीए एवं ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु

(कमल दीप)

अपर आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)-1

सीपीसी-टीडीएस